ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
"डॉ. पट्टाभि भवन"
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

Andhra Bank
Head Office
"Dr. Pattabhi Bhavan"
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004.

विभाग DEPT: Board Secretariat
Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in;

Lr.No.666/25/P.71S/P.177/687

Dt: 26.02.2016

The National Stock Exchange
Of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38
cmlist@nse.co.in;

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sir,

Sub: Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank – EGM NOTICE- Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Our Lr.No. 666/25/P.71S/655 dated 15.02.2016

Further to our letter no. 666/25/P.71S/655 dated 15.02.2016, we enclose copy of Notice of the Extraordinary General Meeting proposed to be convened on Monday, March 21, 2016, at 11.00 A.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032.

This is for your information and records.

Yours sincerely,

(Y. Amarnath)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: as above

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. HYD.



आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

सोमवार, 21.03.2016, को सुबाह 11.00 बज़े

स्थान : आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नंबर. 27-29,

फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Monday, 21.03.2016 at 11.00 am

at

Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29,

Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad 500 032

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना 1
NOTICE 33

सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ 2
NOTES TO NOTICE 34

उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास 18
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS 62

प्रॉक्सी फार्म 19
PROXY FORM 63

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
Cut-off Date for determining the shareholders eligible to nominate/contest the election and to receive the EGM Notice	Thursday, 25th February, 2016
Last date for submission of Nomination Forms	Friday, 4th March, 2016 (upto 5.00 P.M.)
Last date and time for withdrawal of Nominations	Saturday, 5th March, 2016 (5.00 P.M.)
Scrutiny of Nominations	Saturday, 5th March, 2016
Specified / Cut-off Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	Monday, 14th March, 2016
Last date for receipt of Proxy Forms / Resolutions appointing Authorised Representatives	Wednesday, 16th March, 2016 (upto 5.00 P.M.)
Remote e-voting Period	Friday, 18th March, 2016 (from 10.00 A.M.) to Sunday, 20th March, 2016 (upto 5.00 P.M.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Monday, 21st March, 2016 at 11.00 A.M.

प्रधान कार्यालय : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग: डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिट: आन्ध्रा बैंक, 002**, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग** 5**, पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई –** 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग

प्रधान कार्यालय : डॉ पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद

हैदराबाद **500004** तेलंगाना

<u>सूचना</u>

आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यापार हेतु आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, 21 **मार्च**, **2016** को प्रात: 11.00 बजे आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नं. 27-29, फैनेंशियल डिस्ट्रिक्, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद- 500 032 में आयोजित की जाएगी:

<u>कार्यसूची - बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव</u>

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों से एक निदेशक को चुनने के लिए, जिनसे निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (अब से "विनियम अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) और आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक्) विनियम, 2003 (अब से "विनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(i) (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा) और भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 23 मई 2011 की सं. डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 (अब से भा.रि.बैंक "अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार चुने गए निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.सं. एफ.सं. 16/83/2013-बीओ1 दि. 03.09.2013 और एफ.नं.16/51/2012-बीओ 1 दि.28.04.2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश)

<u>संकल्प</u>:

"संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना, इसके अंतर्गत बनाए विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चयनित एक निदेशक को एतदद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त हो और किया जाए और वे परिणाम की घोषणा के दिन के पश्चात कार्यभार ग्रहण करेंगे और निदेशकों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे" ।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : हैदराबाद

कृते आन्ध्रा बैंक

दिनांक :12.02.2016

(वाई. अमरनाथ)

कंपनी सचिव

नोट:

1. **<u>व्याख्यात्मक विवरण</u>**

बैंठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **<u>वोट देने का अधिकार</u>**

अधिनियम के खंड 3 के उपखंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त सम अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र होगा ।

आन्ध्रा बैंक सामान्य विनियम, 2003 के विनियम 68 के अनुसार, वोटिंग के मामलों में प्रत्येक शेयरधारक के पास उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी ।

उक्त के होते हुए, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) सुधार नियम, 2015 के अनुसार **<u>कट-आफ</u> तिथि याने सोमवार, 14.03.2016**, को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास ई-वोटिंग/मतदान द्वारा वोटिंग में उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी ।

<u>संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग करना</u>

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति को, वोटिंग के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा । अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम होंगे, तो **केवल प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा तथा केवल वही बैठक में वोट करने, चुनाव तथा नामांकन हेतु पात्र है ।**

3. **<u>चुनाव हेतु तथा वोट/ई-वोट हेतु एक निदेशक चुनने के लिए पात्र शेयरधारकों की सुनिश्चितता हेतु कट-आफ तिथि</u>**

विनियमों के विनियम 12 के अनुसरण में चुनाव में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के नाम के निर्धारण के उद्देश्य से अंतिम तिथि बुधवार, **25.02.2016 कट-आफ तिथि** है याने सूचना में वर्णित अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक का चुनाव हेतु नामांकन/ चुनाव लड़ने हेतु अंतिम तिथि ।

4. **<u>प्राक्सी की नियुक्ति</u>**

बैठक में भाग लेने व वोट देने हेतु पात्र शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
आन्ध्रा बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्राक्सी के प्रलेख के प्रदाता को ऐसे प्रलेख से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने की पात्रता नहीं होगी।

प्राक्सी की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. में असाधारण आम बैठक से कम से कम **चार दिन** पहले याने बुधवार, **16.03.2016** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने अपराह्ण 5.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए।

5. **<u>प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति</u>**

कोई भी व्यक्ति आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के निगम या निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले याने बुधवार, **16.03.2016** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने अपराह्ण 5.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए।

आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. **<u>उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर</u>**

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारक/ प्राक्सीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उन्हें दे दें। तत्पश्चात् उन्हें प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर पास जारी किया जाएगा । प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में ''प्राक्सी '' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'', जैसा भी मामला हो, अंकित करना है।

7. **<u>इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग</u>**

सेबी के विनियम 44(1) (बाध्यता सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुपालन में तथा कंपनीज़ (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 अथवा उसके बाद कोई सुधार बैंक सहर्ष असाधारण आम बैठक में अपने सदस्यों के लिए बैठक स्थान पर , वोट (भौतिक बैलट) के अलावा मतदान के विकल्प-माध्यम के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करता है, जो उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने तथा संकल्प पारित करने हेतु सक्षम बनाएगी ।

इस उद्देश्य हेतु, बैंक ने अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में मैसर्ज़ सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी ढ़ंग से सम्पन्न करने हेतु जांचकर्ता के रूप में भी मैसर्ज़ टी आर रामभद्रन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हैदराबाद को नियुक्त किया है ।

रिमोट ई-मतदान वैकल्पिक है । कृपया नोट करें कि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट अधिकार के प्रयोग के पश्चात भी साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु बैठक स्थल पर दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी ।

इलैक्ट्रॉनिकली मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

(i) मतदान अवधि 18.03.2016 प्रात: 10.00 बज़े प्रारंभ तथा 20.03.2016 शाम 5.00 बज़े समाप्त होगा । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जिनके पास अंतिम तिथि (विशिष्ट तिथि) याने सोमवार, 14.03.2016 तक भौतिक रूप अथवा अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलैक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते हैं । उसके पश्चात मतदान हेतु ई-मतदान मॉडयूल सीडीएसएल द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ii) शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए ।

(iii) "शेयरधारकों" पर क्लिक करें ।

(iv) अब अपना यूज़र आईडी प्रविष्ट करें ।

क) सीडीएसएल हेतु -16 अंक हिताधिकारी आईडी

ख) एनएसडीएल हेतु - 8 करेक्टर डीपी आईडी, फिर 8 अंक ग्राहक आईडी

ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करना चाहिए ।

(v) प्रदर्शित इमेज-जांच एंटर करें और लॉग-इन पर क्लिक करें ।

(vi) यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हो एवं www.evotingindia.com में लॉग किया गया हो एवं किसी कंपनी में पहले वोट दिया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है।

(vii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हों तो नीचे दिये चरणों का अनुसरण करें।

	कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि), 14.03.2016 को डीमेट रूप / भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक अल्फा-न्यूमेरिक *पैन* प्रविष्ट करें। (डीमेट शेयरधारियों एवं भौतिक शेयरधारियों, दोनों के लिए लागू है) • उन सदस्यों से जिन्होंने अपने पैन को बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसीपैंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे पैन के स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर एवं सीक्वेंस के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि सीक्वेंस नंबर 8 अंकों से कम हो तो बडे अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद नंबर के पहले आवश्यकतानुसार शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरणस्वरूप- यदि सीक्वेंस नंबर 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार हो तो पैन के स्थान पर RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक का ब्यौरा अथवा जन्म तिथि	कृपया लॉगइन के लिए लाभांश बैंक का ब्यौरा अथवा अपने डीमेट खाते या बैंक/आरटीए रिकार्ड में दिए अनुसार जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट) में प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी / बैंक / आरटीए में ब्यौरा रिकार्ड न किया गया हो तो कृपया अनुदेश (iv) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक के ब्यौरा स्थान पर नंबर आईडी / फोलिओ नंबर प्रविष्ट करें।

(viii) इन ब्यौरों को ठीक रूप से प्रविष्ट करने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सीधा कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन में पहुँचना है। तथापि, डीमेट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को अब 'पासवर्ड क्रीएशन' मेनु में जाना है जिसमें उनको नये पासवर्ड स्थान पर अपना लॉगइन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमेट धारक द्वारा किसी अन्य कंपनी, जिसमें वे वोट देने के लिए पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोट देने हेतु भी इस पासवर्ड का प्रयोग करना है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प दे। यह सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को पासवर्ड प्रकट न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का प्रयोग केवल इस नोटिस में स्थित संकल्प पर ईवोट देने के लिए करना है।

(xi) संबंधित <आन्ध्रा बैंक> जिनको आप वोट देना चाहते हैं, के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) आप वोटिंग पृष्ठ पर "रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन" एवं उसके सामने वोट देने के लिए विकल्प "हाँ/नहीं" पायेंगे। अपनी इच्छानुसार विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ से अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं एवं विकल्प नहीं से यह अभिप्राय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प का ब्यौरा चाहते हो तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प का चयन करने के उपरांत आप वोट देने का निर्णय लेकर "सबमिट" पर क्लिक करें। पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हो तो "ओके" पर क्लिक करें, यदि अपना वोट बदलना चाहते हो तो "कैंसल" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट आशोधित करें।

(xv) आप एक बार संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" करने पर आपको अपना वोट आशोधित करने की अनुमति नहीं है।

(xvi) आप अपने वोट का प्रिंट वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमैट खाताधारक उसी पासवर्ड को भूल गया हो तो यूजर आईडी एवं इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें एवं **"फर्गेट पासवर्ड"** पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगे गये के अनुसार ब्यौरा प्रविष्ट करें।

(xviii) गैर व्यक्ति शेयरधारकों के लिए नोट **(संस्थागत निवेशक)** एवं अभिरक्षक

- गैर व्यक्ति शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोडकर) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करने एवं अपने आपको कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- इकाई के स्टाम्प एवं हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए।
- लॉगइन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित किया जाना चाहिए। अनुपालन यूजर खाते को जोडने में सक्षम होगा जिसको वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए एवं खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे पायेंगे ।
- बोर्ड संकल्प एवं मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने ग्राहक के हित में जारी किया है, यदि कोई हो तो उसे पीडीएफ फार्मेट में सिस्टम में जाँचकर्ता द्वारा जाँच हेतु अपलोड किया जाना चाहिए ।

सामान्य सूचना :

(क) वोट देने की अवधि 18 मार्च 2016, शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी एवं 20 मार्च 2016, रविवार शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, चाहे भौतिक रूप में शेयर हो या डीमेट रूप में, वोटिंग हेतु कट-ऑफ तारीख (रिकार्ड तारीख), सोमवार, 14.03.2016 को अपने वोट इलेक्ट्रनिक रूप में दे सकते हैं। तदुपरांत, सीडीएसएल द्वारा वोट देने के लिए ई वोट मोड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दे दिये जाने पर बाद में शेयरधारक को उसे परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) यदि आपको रिमोट ई-वोट देने के संबंध में कोई संदेह या समस्या हो तो आप बार-बार पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं एवं हेल्प-सेक्शन के अंतर्गत ई-वोटिंग मेनुअल www.evotingindia.com में उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com (सीडीएसएल हेल्पलाइन 1800 200 5533) को मेल भेजें।

(ग) आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के जरिए या असाधारण बैठक में पोल के जरिए दें। शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट अधिकार के प्रयोग के पश्चात भी साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु बैठक स्थल पर दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी ।

(घ) कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20, के स्थान पर कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के अनुपालन में, वोटिंग प्रक्रिया या ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोट के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कट-ऑफ तिथि याने साधारण बैठक तिथि से सात दिन पहले से कम की तिथि नहीं याने सोमवार, 14.03.2016 है । शेयरधारक जो कथित तिथि को हितकारी मालिक हैं वे रिमोट ई-वोटिंग में प्रतिभागिता हेतु पात्र हैं । दूसरे शब्दों में, शेयरधारक जो सोमवार, 14.03.2016 को शेयर धारित हैं केवल वे ही ईलेक्ट्रोनिकली वोट हेतु रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल को प्राप्त करेंगे तथा/अथवा साधारण बैठक स्थल पर भौतिक वोटिंग में प्रतिभागी होंगे ।

8 **<u>जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट नहीं दिए उनके लिए सोमवार, 21.03.2016 (ईजीएम तिथि) को वोटिंग प्रक्रिया</u>** :

निदेशक के चुनाव हेतु वोटिंग **<u>हाथ-उठाने के आधार पर नहीं,</u>** बल्कि साधारण बैठक स्थल पर गुप्त-मत द्वारा चुनाव से होगी।

बैलट पेपर साधारण बैठक स्थल पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद जारी होंगे । प्र. नि. एवं मु. का. अ. साधारण बैठक स्थल पर, संकल्प पर विचार-विमर्श के अंत में, जिसपर वोटिंग होनी है, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा द्वारा वोट नहीं दिए किंतु साधारण बैठक में उपस्थित हैं, उन सदस्यों हेतु पोल-पेपर के प्रयोग द्वारा जाँचकर्ता की सहायता से वोटिंग की अनुमति देंगे ।

बैलट पेपर इस उद्देश्य हेतु स्थापित काउंटर पर जारी होंगे। ये पंजीकरण के समय जारी बैलट-पेपर सौंपने पर अधिकृत प्रतिनिधि/प्राक्सी-धारक/शेयरधारक को दिए जाएंगे। वोटों की संख्या कट-ऑफ तिथि याने, सोमवार, 14.03.2016 को उनके पास शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारक बैलट-पेपर में अपनी इच्छा के एक उम्मीदवार के नाम के आगे एक रबड मोहर (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा उन्हें बैलट-बॉक्स में जमा कर सकते हैं।

चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा पदनामित/नियुक्त रिटर्निंग आफिसर, एक शेयरधारक जाँचकर्ता सहित, दो जाँचकर्ताओं की सहायता से संपन्न की जाएगी ।

उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी । ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम बैंक तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी जैसे सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा तथा साधारण बैठक के 48 घंटे के अन्दर, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद : एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

भारत सरकार के अलावा शेयरधारकों के पास बैंक की शेयर पूंजी का 36.0258 % है । बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, आन्ध्रा बैंक अपने बोर्ड में बतौर निदेशक अधिकतम तीन शेयरधारक रखने हेतु पात्र हैं जो बैंक के शेयरधारकों (केन्द्रीय सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करेंगे । 14.03.2015 से बोर्ड में शेयरधारक निदेशक की एक रिक्ति है ।

तदनुसार रिक्ति भरने के दृष्टिगत, बैंक के शेयरधारकों (केंद्रीय सरकार के अलावा) के प्रतिनिधित्व वाली एक निदेशक को चुनने हेतु बैंक के शेयरधारकों का एक असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) का आयोजन की जा रही है तथा बैंक के शेयरधारकों की प्रतिनित्व वाली एक निदेशक का चुनाव हेतु आवश्यक संकल्प पास करने के लिए ईजीएम की सूचना दी जा रही है ।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) यदि विभिन्न सम्बन्धित अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं, तो अपने नामांकण भेजने हेतु पात्र हैं, जिनके सम्बन्धित भाग यहां नीचे दर्शाए गए हैं । चयानित निदेशक

परिणाम घोषणा के पश्चात तिथि से कार्य-भार सम्भालेंगे तथा कार्य-भार तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे ।:-

कानूनी प्रावधान

निम्न सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान दर्शाती है ।

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20 धारा 5(एनई)	➢ सामान्य निदेशकों का निषेध ➢ अपने निदेशकों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध ➢ पर्याप्त हित
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	➢ वोटिंग अधिकारों पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या ➢ कतिपय क्षेत्रों की विशेष जानकारी ➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा और भारिबैं द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानकों के आधार पर सही एवं उचित व्यक्ति न हो। ➢ उक्त अधिनियम की धारा 9(ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने पर ऐसे चुने गए निदेशक को हटाने का भारिबैं का अधिकार । ➢ निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व ।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	➢ चुने गए निदेशकों की कार्यावधि ➢ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता । ➢ निदेशक के पद का रिक्त होना ➢ चयनित निदेशक का पद से हटाया जाना ➢ चुने हुए निदेशक के कार्यालय में रिक्त स्थान भरना । ➢ निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्था, जिनमें उनका हित हो, में हित का प्रकटन
आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003	विनियम 10 विनियम 61 ए विनियम 61 बी	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➢ मतदान में जॉचकर्ता ➢ मतदान प्रक्रिया तथा परिणाम

	विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन ➢ नामांकन की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्राक्सी
भारिबैं अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39. 001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/ 29.39.001/2010-11 दि.23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में।	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए सही एवं उचित मानक
बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक द्वारा सलाह के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.सं.एफ.नं.16/83/2013 - बीओआई, दि.03.09.2013 तथा पत्र सं.एफ.16/51/2012 -बी.ओ.1 दि.28.04.2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश)	जन-हित तथा पारदर्शिता से बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु शेयरधारक निदेशक चुनने हेतु, इस दिशा में अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दि. 01.06.2011 तथा 28.04.2015(भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश) भी उम्मीदवारों की 'सही एवं उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु, ध्यान में रखे जाते हैं ।	
सेबी दिशा-निर्देश - परिपत्र सं. परि/सीएफडी/नीति कक्ष/2/2014 दि.17.04.2014	दि.19.03.2015 को संशोधित, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों की आम बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा दी जानी चाहिए ।	
दि.19.03.2015 को संशोधित, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014.	नियम 20 में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया है । नियम 20(ii) के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से या आम बैठक में मतदान द्वारा वोट करने के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-आफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) आम बैठक से 7 दिन पूर्व की तिथि नहीं होगी ।	

<u>संबंधित अधिनियम / योजना/ विनियम / अधिसूचनाओं आदि का उद्धरण</u>

शेयरधारकों की सुविधा हेतु बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (एतदपश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (एतदपश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003 (एतदपश्चात 'विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08, दि.01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11, दि.23.05.2011 और कार्यालय ज्ञापन सं.सं.एफ.सं.16/83/2013-बीओआई दि.03.09.2013 और एफ.नं.16/51/2012-बीओ 1 दि.28.04.2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश) से संबंधित उद्धरण बैंक की वैबसाइट www.andhrabank.co.in पर उपलब्ध होंगे। उन्हें इस सूचना के अंत में भी दोहराया गया है। ऐसे

उद्धरणों को नामांकन-फार्मों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि याने 04 मार्च, 2016 को या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशकसंपर्क अनुभाग, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 तेलंगाना को किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाएगा।

<u>बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक अर्हता</u>

(I) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने का ईच्छुक है, उसे

(क) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो : -

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
ii. बैंकिंग,
iii.सहकारिता,
iv.अर्थशास्त्र,
v.वित्त,
vi.विधि,
vii.लघु उद्योग,
viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो। जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

(ख) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

(II) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार उम्मीदवार बैंक के शेयरधारक होने और जो बैंक के निदेशक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें इस संबंध में समय-समय पर भारिबैं के निदेशों / अधिसूचनाओं के अनुसरण में 'सही एवं उचित' स्तर होना चाहिए।

(III) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करना चाहिए और उन्हें इस संबंध में भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

<u>बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता</u>

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1980 के खंड 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनर्हक होंगे :

(क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो; अथवा

(ख) यदि वह असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो; अथवा

(ग) यदि दंड न्यायालय ने उसे आपराधिक सजा सुनायी हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

(घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (i) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी समनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3(ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

और

बी. यदि वह बेंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.सं.एफ.नं.16/83/2013-बीओआई दि.03.09.2013 तथा एफ.सं.16/51/2012 - बी.ओ.1 दि.28.04.2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश) के साथ पठित भारिबैं की दि.23 मई 2011 की सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 की अधिसूचना के अनुसार "सही एवं उचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

<u>प्रतियोगियों को शेयरधारकों की सूची</u>

शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु, विनियमों के विनियम 64 में दर्शायी शेयरधारकों की पूर्ण सूची, अंतिम तिथि याने गुरूवार, 25.02.2016 को शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्र.का, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद- 500 004, तेलंगाना में खरीद हेतु **'आन्ध्रा बैंक'** के हित में हैदराबाद में देय किसी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान-आदेश द्वारा **50,000/-**रु. (रुपये पचास हजार) के पूर्व भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु शुक्रवार, 26.02.2016 से शुक्रवार, 04.03.2016 (नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि) तक उपलब्ध होगी।

<u>शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण</u>

शेयरधारकों का रजिस्टर/सदस्यों का रजिस्टर निरीक्षण के लिए प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवस पर (रविवार और बैंक छुट्टी के अलावा अन्य दिन) अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक उपलब्ध होगा । यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट लेना चाहता है तो 5/- रु. प्रति 1000 शब्द या उसके भाग को कॉपी करने की दर से पूर्व भुगतान करने पर उन्हें उसकी आपूर्ति की जाएगी।

<u>चुनाव में भाग लेना</u>

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ आरटीए द्वारा गुरूवार, 25.02.2016 तक प्रस्तुत अनुसार शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टर में होंगे, भाग लेने हेतु याने केंद्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामांकन, चुनाव तथा वोट देने हेतु पात्र होंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के अनुसार, अंतिम (विनिर्दिष्ट) तिथि याने सोमवार, 14.03.2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु रिमोट ई-वोटिंग/मतदान के माध्यम से वोटिंग करने के लिए एक वोट होगी । अंतिम (विनिर्दिष्ट) तिथि का अर्थ है इलेक्ट्रानिक माध्यम से या आम बैठक में वोट करने की पात्रता निर्धारण हेतु आम बैठक की तिथि से 7 दिनों से पूर्व की तिथि न हो ।

<u>चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन</u>

नामांकन की वैधता

विनियमों के विनियम 65 तथा दि.23 मई 2011 की सं. डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित भारिबैं की अधिसूचना डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन सं.सं.एफ.सं.16/83/2013-बीओआई, दि.03.09.2013 और एफ.नं.16/51/2012-बीओ1 दि.28.04.2015 (वर्तमान भारत सरकार दिशा-निर्देश) तथा विभिन्न अधिनियमों के लागू अन्य प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते कि :-

क) उसके पास चुनाव में भाग लेने हेतु गुरूवार, 25.02.2016 अंतिम तिथि तक बैंक में 100 से कम शेयर न हों तथा उसके पास सोमवार, मार्च 21, 2016 तक न्यूनतम 100 शेयर हों तथा अपनी अवधि की समाप्ति तक रहें, यदि उसका चुनाव हो जाता है।

ख) शुक्रवार, 04.03.2016 (नामांकन-प्राप्ति की अंतिम तिथि) तक अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं की अधिसूचनाओं के अंतर्गत वह निदेशक के रूप में अयोग्य न हो।

ग) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत नियत वकील द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प कंपनी के निदेशकों के संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 तेलंगाना को प्रेषित किया जाना है और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

घ) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) उम्मीदवार की घोषणा के साथ किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बेंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि इस अधिनियम के तहत या इस योजना या विनियम के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

ड.) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियम में यथा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो (प्रोफार्मा बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in में "निवेशक कोना" टैब में भी उपलब्ध है।

<u>नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण</u>

बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लडने के लिए इच्छुक शेयरधारक जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त हैं, द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए:

क) विधिवत् भरा हुआ घोषणा फार्म

ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन

ग) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और संबंधित प्रलेखों के साथ वचन पत्र, प्रमाण-पत्र यथा बयो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाण-पत्र

सूचना से संलग्न फार्मेट में बंद लिफाफे में सभी पहलुओं में संपूर्ण संबंधित प्रलेखों के साथ असाधारण आम बैठक के लिए शुक्रवार, **04.03.2016** शाम 5.00 बजे को या उससे पहले बैंक के कार्य-समय से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को (याने कि आम बैठक की तिथि से 14 दिन से कम न हो) बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 तेलंगाना में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा, नामांकन अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

<u>नामांकन की जाँच</u>

(i) नामांकनों की जाँच बैक द्वारा प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस याने शनिवार, 05.03.2016 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, उसका कारण उल्लिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार 'सही एवं उचित स्थिति' निर्धारित करने हेतु बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की जाँच की जाती है।

(iii) चुनाव द्वारा भरे जाने वाली एक रिक्ति के लिए यदि केवल एक नामांकन हैं तो ऐसे वैध रूप से नामित उम्मीदवार को उसी समय चयनित माना जाएगा और इस प्रकार चयनित के रूप में उनका नाम और डाक पता प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक को रद्द माना जाएगा1 तथापि, चयनित अभ्यर्थी परिणाम घोषणा के बाद वाले दिन को ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(iv) यदि वैध नामांकन एक से अधिक हो, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और सबसे अधिक वोट पाने वाले को चयनित माना जाएगा तथा उनका नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा बैंक की वेबसाइट पर भी रखा जाएंगा ।

(v) विवाद के मामले में, विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

<u>नामांकन वापस लेना</u>

उम्मीदवार नामांकनों की जांच प्रारम्भ होने से पूर्व, याने 05.03.2016 को 5 बजे को या उससे पूर्व डाक अथवा फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर अपना नाम वापस ले सकते हैं ।

निदेशकों की रुचि

ऊपर उल्लिखित व्यवसाय मद में बैंक के किसी निदेशक को रुचि नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 12.02.2016

(वाई. अमरनाथ)
कंपनी सचिव

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती, का निवासी एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करती हूं कि

क. मैं गुरूवार, 25.02.2016 याने चुनाव में भाग लेने हेतु कट-ऑफ तिथि को बैंक के 10/- रु प्रत्येक के ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूं तथा चुने जाने पर अपनी अवधि की समाप्ति तक 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा तथा

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या (विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव है और मैं बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण एवं उपक्रमों का अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप धारा 3(क) के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा कृषकों, कर्मचारियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूं/करती हूं ।

ग. मैं संख्या में नामांकन स्वीकार करता हूं और

घ. मैं आन्ध्रा बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए खड़ा होने का ईच्छुक हूं और

ङ. मुझे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 और आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003, भारिबैं अधिसूचना - डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11, दि.23.05.2011 तथा भारत सरकार के अंशकालिक अशासकीय निदेशक के चयन हेतु वर्तमान दिशा-निर्देश तथा प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक का निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

च. मैं राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो लाभ का कोई पदधारी हूं और न ही कर्मचारी हूं ।

छ. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण पीडीयू फार्म में संलग्न करता हूं याने व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचनपत्र, जो मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं ।

ज. मैं इस घोषणा के बाद किसी भी परवर्ती घटनाओं के लिए यथाशीघ्र बैंक को सूचित करने का वचन देता हूं जो निम्न प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध है और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर प्रतिज्ञा-पत्र का विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं ।

* जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, बीमा के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भा रि बैं (या आन्ध्रा बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मोहर सहित हस्ताक्षर)

उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए
तिथि सहित हस्ताक्षर एवं सील
नाम
दिनांक

नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

[विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें]

सेवा में
आन्ध्रा बैंक
शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय, डा पट्टाभि भवन,
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद-500004 (तेलंगाना)
महोदय,

निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन

आपके दिनांक 12.02.2016 के नोटिस के संदर्भ में
मैं, श्री/श्रीमती, जो बुधवार, 24.02.2016 (चुनाव में भाग लेने हेतु (नामित/चुनाव लडने) कट-ऑफ तिथि मानी गई है) को 10/- रू प्रत्येक के ईक्विटी शेयरधारक हूं, सोमवार, 21.03.2016 को हैदराबाद में आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (1) के उपबन्धों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतुके निवासी श्री/श्रीमतीसुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीको नामित करता हूं/करती हूं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणीयां:

1) यदि नामांकन किसी कंपनी निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए ।

2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए ।

3) यदि कोई भी उपर्युक्त कॉलम खाली छोडा जाए या विवरण गलत पाए जाएं तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र

बैंक का नाम: **आन्ध्रा बैंक**

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं

_____2016 को उचित संलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणापत्र एवं वचनपत्र			
I		**अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण**	
	ए	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)	
	बी	जन्म-तिथि	
	सी	राष्ट्रीयता	
	डी	शैक्षिक योग्यताएं	
		(कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
		(शैक्षिक / व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें).	
	ई	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक से संबद्ध अपने अनुभव सूचित करें)	
	एफ	स्थायी पता	
	जी	वर्तमान पता	
	एच	ई-मेल पता दूरभाष नंबर (लैंडलाइन) दूरभाष नंबर (मोबाईल)	
	आई	**(1)** आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता नंबर (कृपया प्रति संलग्न करें) **(2)** आयकर मंडल / डिविज़न जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दायर की जा रही हैं।	
	जे	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंककारी कंपनी (अभिग्रहण एवं अतंरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
	के	बैंक के निदेशक से संबद्ध कोई अन्य सूचना	
II		**अभ्यर्थी के प्रासंगिक संबंध**	
	ए	बैंक से जुड़े रिश्तेदारों की सूची, यदि हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	
	बी	संस्थाओं की सूची, यदि हो, जिनमें उनका हित माना जाता हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)	

	सी	संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रस्तावित एवं विद्यमान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(ई) के अंतर्गत उनका पर्याप्त हित है	
	डी	बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रह चुके हैं (कार्यावधि के विवरण देते हुए)	
	ई	उनके द्वारा या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा बैंक से ली गई निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों ।	
	एफ	बैंक या किसी अन्य बैंक से अभ्यर्थी या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं में चूक के मामले, यदि हो	
III		**व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड**	
	ए	व्यावसायिक उपलब्धियां (बैंक के निदेशक हेतु प्रभावित कर सकने वाली उपलब्धियों का विवरण दें)	
IV		**अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि हो**	
	क	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संघ / निकाय का सदस्य है, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि की अनुशासनिक कार्रवाई, यदि हो, का विवरण और क्या उन्हें किसी समय किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
	ख	अभ्यर्थी और/या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि और विनियमों के उल्लंघन के लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	ग	अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के आपराधिक अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	डी	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अंतर्गत किसी अनर्हता का पात्र है ?	
	ई	क्या अभ्यर्थी या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा कोई जांच हुई है ?	
	एफ	क्या अभ्यर्थी को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर/ विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियम/विनियम/ विधान की अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	
	जी	क्या अभ्यर्थी अनुचित कारणों से किसी विनियामक यथा सेबी, इरडा, डीसीए, भारिबैं, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि के ध्यान में आए हैं। (हालांकि अभ्यर्थी को कॉलम में विनियामकों के ऐसे आदेश और निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पूर्णत: प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया है, यह आवश्यक होगा कि इनका उल्लेख करें, यदि प्रत्यावर्तन /रद्दकरण गुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों से यथा क्षेत्राधिकार के सीमित	

		होने या इसके अभाव में, आदि से हुआ है । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर आस्थगित किया गया है और अपील / न्यायालय कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।	
V		सही एवं उचित माने जाने हेतु मद । से ।।। के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना	
VI		क्या अभ्यर्थी ने अपनी वैयक्तिक क्षमता के अंतर्गत बैंक के साथ कोई व्यापार किया ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	
VII		क्या अपने कर्तव्यों के पालन में अभ्यर्थी/निदेशक किसी व्यक्ति या संस्था या बैंक या कंपनियों आदि के निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	

वचन पत्र

मैं _____ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री _____ यह पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद ऊपर दी गई सूचना से प्रासंगिक सभी घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतः सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं प्रसंविदा प्रलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ जिसे बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

स्थान:

दिनांक : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नक :

नोट :

1. जहाँ स्थान पर्याप्त न हो, कृपया उचित प्रति-संदर्भ सहित वर्णक्रम में अनुबंध के रुप में सूचना संलग्न करें ।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

नामांकन समिति के प्रेक्षण/अभ्युक्ति :

समिति सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर	समिति सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर	समिति सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर	

स्थान :

दिनांक :

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप-सह-प्रवेश पास - सह- बैलट पेपर पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक : सोमवार 21 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे

स्थान : **आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज**, **प्लॉट नं 27-29**, **वित्तीय जिला**, **नानकरामगुडा**, **गच्चीबाउली**, **हैदराबाद - 500032** **उपस्थिति पर्ची**

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

.....

आन्ध्रा बैंक **प्रवेश पास**

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

असाधारण आम बैठक : सोमवार 21 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास-बैलट पेपर पास भाग शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिसे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए । बैलट पेपर का पास वाला भाग बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु सौंप दिया जाएगा । किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

.....

आन्ध्रा बैंक **बैलेट पेपर पास**

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

(मतदान काउंटर पर बैलेट पेपर प्राप्त करने हेतु सौंपे)

असाधारण आम बैठक : सोमवार, 21 मार्च, 2016, प्रात: 11.00 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		डी पी आई डी एवं ग्राहक आई डी (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं
(यदि अमूर्त न हो)
डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि अमूर्त हो)

मैं/हम_____ निवासी_____ जिला_____ राज्य_____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतत्-द्वारा श्री/श्रीमती_____ निवासी_____ जिला_____ राज्य_____ **या** इनके न आने पर श्री/श्रीमती_____ निवासी_____ जिला_____ राज्य_____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की सोमवार, 21 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे **आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज**, **प्लॉट नं 27-29**, **वित्तीय जिला**, **नानकरामगुडा**, **गच्चीबाउली**, **हैदराबाद - 500032** में होने वाली असाधारण आम बैठक और उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

.....2016 को दिन हस्ताक्षरित

रु 1/- का
राजस्व
स्टांप

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :

1. प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,

क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

ग) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो । यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।

2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवश हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

3. प्राक्सी के साथ

क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,

ख) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि बुधवार 16 मार्च, 2016 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, को या इससे पहले जमा की जाए.

ग) यदि सम्बन्धित मुख्तारनामा पहले ही आन्ध्रा बैंक में पंजीकृत हो, तो मुख्तारामे की पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण की तिथि का उल्लेख करें ।

4. प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो ।

5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.

6. वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.

7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.

8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

निदेशकों का निर्वाचन – अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसार धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 (एतद्वारा 'विनियम' के रूप में संदर्भित) की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध: धारा 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध: धारा 20

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 67 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी

 क. अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी ।

 ख. निम्नलिखित को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी ।

 (i) अपने किसी निदेशक

 (ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रुप में हित रखता हो, या

 (iii) कोई ऐसी कंपनी हो जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो, (अनुषंगी अथवा धारक कंपनी) जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक कर्मचारी, प्रबंधक, गारंटर अथवा निदेशक हो अथवा पर्याप्त हित रखता हो ।

 (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक, साझेदार या गारंटीकर्ता के रुप में हितबद्ध हो।

2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खंड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था (अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए।

 बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

 यह भी कि यह उप-धारा लागू नहीं होगी यदि संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवा-निवृत्ति अथवा अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करें ।

3. उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।

4. जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी के निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया है ।

व्याख्या – इस धारा में:

(क) '**ऋण या अग्रिम**' में कोई भी ऐसा लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन के स्वरुप, लेनदेन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियां, जमाकर्ताओं के हितों और अन्य प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लेख कर सके।

(ख) '**निदेशक**' से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

पर्याप्त हित - धारा 5 (एनई)

i) कम्पनी से सम्बन्ध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति अथवा उसके पति या पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे, चाहे एक द्वारा अथवा एकसाथ, शेयरों में लाभकारी हित हो, जिनपर प्रदत्त राशि कम्पनी के प्रदत्त का 10 प्रतिशत अथवा पांच लाख रु से अधिक हो, जो भी कम हो ।

ii) फर्म से सम्बन्ध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति अथवा उसके पति या पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे, चाहे एक द्वारा अथवा एकसाथ, लाभकारी हित हो, जो कथित फर्म के सभी पार्टनर द्वारा कुल पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करे ।

<u>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980</u>

मताधिकार पर प्रतिबंध

3(2ई) : केन्द्रीय सरकार को छोडकर समनुरुपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में उक्त समनुरुपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक हो तो वह मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा ।

निदेशक मंडल का गठन

9 (3)(i) जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी निम्नानुसार हो तो :

i) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक न हो तो एक निदेशक ।
ii) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो तो दो निदेशक ।
iii) कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो तो तीन निदेशक,
केन्द्र सरकार को छोडकर, अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने ही में से निर्वाचित होंगें ।

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के पश्चात कार्यभार संभालने पर, खंड (एच) के अंतर्गत नामित बराबर संख्या में निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट अनुरूप सेवा-निवृत्त हो जाएंगे ।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण एवं उपक्रम) एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व या को, समनुरुपी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप खंड (i) या उप खंड (ii) या उपखंड (iii) जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या अधिक हो तो ऐसे प्रारंभ से पूर्व निर्वाचित ऐसे अधिक संख्यक निदेशक योजना में यथानिर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे एवं ऐसे निदेशक कार्यालय अवधि के समयपूर्व सेवा निवृत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा करने के पात्र नहीं है ।

धारा 9 (3 ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित अथवा खंड (एच) के अंतर्गत नामित किए जाने वाले निदेशक:

क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो ।

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
ii. बैंकिंग
iii. सहकारिता
iv. अर्थशास्त्र
v. वित्त
vi. विधि
vii. लघु उद्योग
viii. ऐसा अन्य कोई विषय जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरुपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व हो ।

ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व हो।

धारा 9 (3 एए) उप धारा 3(ए) के उपबंध के पूर्वाग्रह के बिना एवं अधिनियम एवं/या वर्तमान प्रचलित अन्य कानून में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रुप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है यदि वह ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सूचित ऐसे अन्य मानदंडों के अनुसार "उपयुक्त एवं सही स्टैटस" का न हो।

धारा 9(3 एबी) निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण एवं ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भी निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 बी) : जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरुपी नए बैंक की उपधारा (3) के (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3 ए) तथा 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो तो वह, ऐसे निदेशक को निर्वाचित होने तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रुप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरुपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रुप में विधिवत निर्वाचित है, जबतक कि अगली ईजीएम में तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत चुनाव न हो ।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व:

13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरुपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा ।

<u>राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980</u>

9. चुने हुए निदेशक की अवधि :

9(4) निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा,
बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा।

10 निदेशक हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने में अयोग्य ठहराया जाएगा यदि :

क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो, अथवा

ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रुप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रुप में घोषित किया हो, अथवा

ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनाई हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो, अथवा

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा स्टेट बैक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पदधारण करता है किंतु अपवाद स्वरुप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण कर सकता है ।

11 निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनहर्ताओं के अधीन आता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित रुप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है और अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और यह त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।

3. उपरोक्त उपखंडों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 के उपखंड 3 की उपधारा (3) के खंड (ई) और खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त निदेशक के, उस राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कर्मचारी के रुप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।

4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक पद में कोई रिक्ती हो जाती है वहां वह रिक्ती अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

11 ए :

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों जो सभी शेयरधारकों, द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करते हैं, के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं ।

11 बी : निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना:

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी, बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि 6 महीनों से कम होने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है ।

2. उप खंड (1) के अन्तर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा ।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा:

12(8) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध या हित रखने वाला कोई निदेशक सम्बन्धित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा रहने पर ऐसा संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा ।

बशर्ते कि उप खंड का कोई भी प्रावधान ऐसे निदेशक पर निम्न कारणों से लागू होगा :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी कंपनी में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत तक धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या

ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि (अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ड) या (च) के अधीन) निदेशक है ।

आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियम, 2003

विनियम 10 : संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हों, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति, शेयरों के अंतरण के अलावा, बैंक से जुड़े किन्हीं भी अन्य अथवा सभी विषयों, वोट करने, लाभांश की प्राप्ति तथा सूचना देने हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा ।

विनियम 61**ए** : **चुनाव में जांचकर्ता**

(i) चुनाव होने पर बैठक के अध्यक्ष चुनाव में दिए गए वोटों की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए दो जांचकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे ।

(ii) चुनाव के परिणाम घोषित करने से पहले किसी समय कार्यालय से जांचकर्ता को हटाने तथा कार्यालय में इसके कारण अथवा अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने का अधिकार बैठक के अध्यक्ष को होगा ।

(iii) इस विनियम के अंतर्गत नियुक्त 2 जांचकर्ताओं में से एक शेयरधारक, जो बैठक में उपस्थित हैं, (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी न हो) होगा, बशर्ते कि वह शेयरधारक उपलब्ध हो तथा नियुक्ति के लिए इच्छुक हो ।

विनियम 61**बी** : **चुनाव की प्रक्रिया और उसके परिणाम**

(i) बैठक के अध्यक्ष को प्रक्रिया को संचालित करने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें चुनाव किया जाए ।

(ii) चुनाव के परिणाम, जिस प्रस्ताव पर चुनाव हुआ, को उसकी बैठक का निर्णय माना जाए।

विनियम 63 : **आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक**

1) धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अधीन आन्ध्रा बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही किसी को निदेशक चुन लिया जाएगा ।

2) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी सूचना बैठक के आयोजन सम्बन्धी नोटिस में ही जोड़ दी जाएगी । इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जायेंगे ।

विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाएगा ।

ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों के पंजीकृत करने की तिथि और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होगी और सूची की प्रतियां खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी ।

विनियम 65 : चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब

क) वह आन्ध्रा बैंक में 100 (एक सौ) शेयर रखने वाला शेयरधारक हो ।

ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो,

ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के सम्बन्ध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो ।

घ) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् नियत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और जहां ऐसा किया जाता है वहां जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय को

प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को सम्बन्धित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

ड) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव हेतु खड़े होने का ईच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी सम्बन्धित दस्तावेज़ सहित आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तिथि से 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता ।

विनियम 66 : नामांकनों की जांच :

i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस को उनकी जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो, तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिए जाने के रूप में प्रकाशित कर दिया जाएगा । ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी ।

ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा ।

iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्वाचित होने के दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है ।

विनियम 67 : चुनाव सम्बन्धी विवाद :

i) निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता है, तो कोई ईच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से 7 दिन के अंदर उसके सम्बन्ध में लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया गया हो ।

ii) उप विनियम **(i)** के तहत सूचना प्राप्त होने पर आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे ।

iii) उप विनियम **(ii)** में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच-पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच-पड़ताल प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन के अंदर फिर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश देगी और निर्देश देगी जो ऐसी समिति को उस परिस्थिति में न्याय-संगत प्रतीत होगा ।

iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे ।

विनियम 68 : मतदान अधिकारों का निर्णय

i) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसका सामान्य बैठक की तिथि से पूर्व रजिस्टर बन्द होने की तिथि तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखाकर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा ।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जोकि एक कंपनी नहीं है, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ दिखाकर एक मत देने और मतदान होने के मामले में ऊपर उप विनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत दे सकेगा ।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए "कंपनी" से आशय कोई निगमित निकाय है ।

iii) आम बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखने वाले बैंक के शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु अपनी प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने का हक रखते हैं परन्तु इस तरह नियुक्त प्रोक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा ।

कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के संबंध में वोटिंग केवल रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान द्वारा होगी ।

विनियम 69 : विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

i) ऐसा शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी हो, यथास्थिति संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा, जैसे कि वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पूर्व प्रेषित नहीं कर दिया जाता ।

विनियम 70 : प्राक्सी

i) प्राक्सी की कोई भी लिखित तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में दर्ज शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो ।

बशर्ते कि किसी प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो । यदि उसपर उसका निशान लगा दिया जाए और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए ।

ii) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् मुद्रांकित न हो और उसकी प्रति बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 4 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार पत्र के साथ (यदि कोई हो) जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा सही प्रति के रूप में सत्यापित हो, जमा न करा दी गई हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र बैंक में पहले ही जमा एवं पंजीकृत न कराया जा चुका हो ।

iii) प्राक्सी सम्बन्धी कोई लिखत तब तक वैध नहीं होती जब तक कि वह फार्म "बी" में न हो ।

iv) बैंक में जमा कराई गई प्राक्सी की लिखत **अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम** होगी ।

v) वैकल्पिक रूप में अनुमोदित 2 व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जायेंगे ।

vi) इस विनियम के अंतर्गत प्राक्सी के लिखत को बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे ऐसा लिखित सम्बन्धित हो ।

vii) जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राक्सी या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

viii) प्रॉक्सी फार्म में सभी संशोधन यथाविधि अधिप्रमाणित होने चाहिए।

भारिबैं के सही एवं उचित मानदण्ड संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3ए) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुने गए व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जाने वाले "सही एवं उचित" मानदण्ड को निर्धारित करते हुए दि. 1 नवम्बर 2007 को अधिसूचना सं डीबीओडी.बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 तथा पत्र सं डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/ 2010-11, दि.23.05.2011 तथा कार्यालय ज्ञापन सं.सं.एफ.16/83/2013-बीओ1 दि.03.09.2013 तथा पत्र सं.एफ.16/51/2012- बीओ 1, दि.28.04.2015 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश) जारी किए है ।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएँ

"सही एवं उचित" स्थिति इत्यादि के निर्णय हेतु प्राधिकारी, पद्धति/प्रक्रिया और मानदंड निम्नलिखित हैं:-

क) प्राधिकारी :

सभी राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा निदेशक मंडल में से न्यूनतम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / गैर - कार्यपालक निदेशकों) युक्त "नामांकन समिति" गठित करना अपेक्षित है । निदेशक मंडल को उनमें से एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित भी करना चाहिए । अध्यक्ष सहित, आवश्यक कोरम तीन है । पहले से ही नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति के मामले में, उनके स्थान पर निदेशक मंडल किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को अगली बैठक के लिए नामित कर सकते हैं । नामांकन समिति गठित करते समय बोर्ड उसकी अवधि के बारे में निर्णय ले सकता है ।

ख) पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों/ निदेशक के रूप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की "सही एवं उचित" स्थिति तय करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बैंक को इस प्रयोजन हेतु चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले, व्यक्तियों/चयनित वर्तमान निदेशकों से संलग्न फार्मेट(अनुबंध I) में, आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त करनी चाहिए । चुनावी उम्मीदवारों का नामांकन स्वीकारने की अंतिम तिथि से पहले नामांकन समिति की बैठक आयोजित कर के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकारी जाए अथवा नहीं यह निर्णय किया जाना चाहिए । समिति की चर्चाओं को उचित रूप से बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग की गई हो तो उसे वर्तमान एवं प्रस्तावित निदेशकों दोनों के मामले में नोट भी किया जाना चाहिए । हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर, नामांकन समिति को उम्मीदवार को स्वीकारने या अस्वीकारने और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों से सूचित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाए।

ग) मानदंड

नामांकन समिति को वर्तमान चयनित निदेशकों/ प्रस्तावित उम्मीदवारों की "सही एवं उचित" स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:

(i)शैक्षिक योग्यता

(ii) अनुभव एवं निपुणता का क्षेत्र

(iii) अब तक का निष्पादन एवं सत्यनिष्ठा

(उपर्युक्त सूची केवल संकेतात्मक है, संपूर्ण नहीं।)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त किन्हीं भी मानदंडों के गैर-अनुपालन से वर्तमान चयनित/प्रस्तावित उम्मीदवार बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य निर्वाह में बाधक होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्राधिकारी/नियामक एजेंसी को उम्मीदवार के संबंध में प्रतिकूल सूचना प्राप्ति या दिवालिया होना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था के किसी ऋण का चूककर्ता होना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अपात्र और अनुचित बना देगा ।

घ) अन्य मामले

यह आवश्यक है कि भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भी जारी परिपत्र द्वारा डॉ गांगुली ग्रूप की संस्तुति के अनुसार चयनित निदेशकों द्वारा सार्वजनिक हित में प्रतिज्ञा पत्र विलेख का निरूपादन सुनिश्चित किया जाए।

सभी चयनित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष दि. 31 मार्च को एक सामान्य घोषणा देना भी अनिवार्य है कि उनके द्वारा पहले ही प्रदत्त सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन है उसके लिए अपेक्षित विवरण निदेशकों द्वारा प्रस्तुत है । यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो नामांकन समिति को पुन: समुचित सावधानी प्रक्रिया अपनाकर निदेशक की “सही एवं उचित” स्थिति की जाँच करनी होगी ।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त - दि.01.06.2011 के भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जो दि.03 सितम्बर 2013 के भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा तथा वित्त मंत्रालय के पत्र सं एफ 16/51-2010-बीओ.1 दि.28.04.15 (भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश) द्वारा संशोधित हैं, लागू किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों(एनओडी) के नामांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाए ।

i) **अनुभव का मानदंड**

बैंक के बोर्ड हेतु अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्न श्रेणी के व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा :

क. विशेष अकादमिक प्रशिक्षण के साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों अथवा कृषि, ग्रामीण आर्थिक बैंकिंग, सहकारिता, आर्थिक, व्यापार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग तथा आई टी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव पर साधारणतया विचार किया जाएगा । वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के औद्योगिक अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व किया हो, असफल संस्थान में टर्नअराउंड किया हो) विशेषज्ञता हो ।

ख. संयुक्त सचिव तथा उच्च स्तर का कुल 20 वर्षों का अनुभव तथा न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी । सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सेवानिवृत्त मु.प्र.नि/प्र.नि । पूर्व मु.प्र.नि/प्र.नि का बैंक के बोर्ड के एन.ओ.डी के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । सेवारत मु.प्र.नि/प्र.नि का बैंक के बोर्ड के एन.ओ.डी के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

ग. विशिष्ट प्रबंधन/बैंकिग संस्थानों अकादमिकों/निदेशकों तथा 20 वर्ष से अधिक अनुभव वाले प्रोफेसर ।

घ. 20 वर्षों के अनुभव (लेखा अनुभव को छोडकर) के साथ सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी ।

<u>ख. शैक्षिक योग्यता हेतु मानदंड:</u>

एन.ओ.डी न्यूनतम किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए । व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन तथा आई.टी को अधिमान्यता दी जाएगी ।

<u>ग. आयु-मानदंड :</u>

नामांकन समिति (सर्च-समिति) द्वारा सिफारिश की तिथि को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>घ. कार्य-अनुभव मानदंड :</u>

व्यावसायियों को उनके विशेष क्षेत्र में साधारणतया 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

<u>ड. अयोग्यता का मानदंड :</u>

क) किसी क्षेत्र में बैंक/वित्तीय संस्था (एफ.आई) भा.रि.बैं./बीमा कंपनी में पहले ही निदेशक पर बैंक में एन.ओ.डी हेतु नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ख) किराया-खरीद, वित्त-निवेश, पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुडे व्यक्ति, एम.पी., एम.एल.ए तथा स्टॉक ब्रोकरों को बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा । किराया-खरीद, वित्त-निवेश, पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश एन.ओ.डी के रूप में नियुक्ति हेतु अपात्र नहीं होंगे, यदि ऐसी कंपनियों में उनका कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है ।

ग) निदेशक के रूप में, किसी भी श्रेणी में पूर्व में, दो अवधि अथवा 6 वर्ष हेतु, जो भी अधिक हो, कार्य कर चुके किसी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में एन.ओ.डी के रूप में पुनः नामांकित न किया जाए ।

<u>च. अवधि का मानदंड</u>

किसी भी क्षेत्र में बैंक/वित्तीय संस्था में, पहले ही किसी निदेशक पर, किसी अन्य बैंक/एफआई में एनओडी के रूप में नामांकन हेतु विचार न किया जाए ।

व्यावसायिक प्रतिबंध

1. एनओडी को उस बैंक/एफआई के निदेशक के रूप में पद-भार छोडने के पश्चात 2 वर्ष हेतु बैंक/एफआई का कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा/नहीं स्वीकारेगा ।
2. किसी बैंक में एनओडी के रूप में अपनी अवधि के दौरान, ऐसा निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा, विधि-रिटेनरशिप अथवा वकील के रूप में सूचिबद्ध

होना आदि) स्वीकार नहीं करेगा । भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, ऐसे प्रतिबंध एसोशिएट बैंकों को भी कवर करेंगें। तथापि, किसी अन्य बैंक/बीमा कंपनी के मामले में, फर्म को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि फर्म के उस भाग के व्यवसाय से, जहाँ उसके हित में गैर-सरकारी निदेशक अपने आप को अलग रखता/ रखती हो ।

3. यदि बैंक के साथ व्यवसायिक संबंध रखने वाला व्यक्ति, सहकारी बैंक सहित, किसी बैंक के बोर्ड पर नामित होने के लिए चुना जाता है, तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले बैंक से अपने संबंध समाप्त करने होंगे ।

4. पीएसबी के बोर्ड पर ऐसे व्यावसायिकों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ ऐसे नामांकन से पूर्व तीन वर्षों तक व्यवसायिक संबंध रहे हों ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में देश के सभी 6 अंचलों उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, केंद्रीय ओर उत्तर-पूर्व से एक साथ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

ANDHRA BANK
Shareholders & Investor Relation Section,
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad 500004, Telangana.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 that an Extraordinary General Meeting of shareholders of ANDHRA BANK will be held on Monday**, 21st March, 2016,** at 11.00 A.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500 032, to transact the following business:

Agenda: Election of ONE Shareholder Director of the Bank

To elect ONE Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "the Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification'), Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013 from Government of India (GOI) and F No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines).

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:

Resolution:

"**RESOLVED THAT one Director** elected from amongst shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made thereunder and RBI notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Director."

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place: Hyderabad
Dated: 12.02.2016

(Y.Amarnath)
Company Secretary

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**

 In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 As per Regulation 68 of Andhra Bank General Regulations, 2003, in case of Poll each shareholder shall have one vote for each share held by him/her.

 Subject to the above, as per Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut off date, i.e. Monday, 14.03.2016,** shall have one vote for each share held by him/her in Remote e-voting/Voting through poll.

 Exercise of rights of joint holders:

 As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting**.

3. **CUT OFF DATE for the purpose of ascertainment of shareholders entitled to participate in the election / contest to elect ONE Director**

 Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, Thursday**, 25.02.2016 is the Cut Off date** for the purpose of ascertaining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate / contest in the election of ONE Director representing the shareholders of the Bank from amongst shareholders other than the Central Government as mentioned in the notice.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

 A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

 However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

 As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

 The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e., 5.00 p.m. of Wednesday**, 16.03.2016.**

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or participate in the POLL to be held at the venue of the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500004., not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e.5.00 p.m, of Wednesday**, 16.03.2016.**

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Andhra Bank.

6. **ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS- CUM - BALLOT PAPER PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry slip-cum-Ballot paper pass shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry-cum-Ballot Paper Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

7. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank as an alternative mode of voting, besides POLL (physical ballot) at the venue of the meeting for its Members at the Extraordinary General Meeting, which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTION.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as Remote e-voting agency to provide the Remote e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s.T.R.Ramabhadran, Practising Company Secretary, Hyderabad, as the Scrutinser for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner and for conducting the POLL at the venue of the meeting.

The Remote e-voting is OPTIONAL. Please note that a Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the Meeting.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(i) The Remote e-voting period begins at 10.00 AM on 18.03.2016 and ends at 5.00 PM on 20.03.2016. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date), i.e. Monday, 14.03.2016, may cast their vote electronically. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on "Shareholders".

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user, follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form / Physical Form as on cut-off date (Specified date), 14.03.2016
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA /Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank's / RTA's please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take print out of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then enter the User ID and the image verification code and click on ***Forgot Password***& enter the details as prompted by the system.

(xviii) Note for Non – Individual Shareholders (**Institutional Investors**) and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com; and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com;.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com; and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

General Information:

(A) The Remote e-voting period begins from 10.00 AM on Friday, March 18, 2016 and ends at 5.00 PM on Sunday, 20.03.2016. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date), for voting, Monday, 14.03.2016, may cast their vote electronically. The Remote e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(B) In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com; under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; (CDSL helpline No.1800 200 5533)

You are advised to cast your vote through Remote e-voting or through Poll at the Extraordinary General Meeting. A shareholder may attend the General Meeting even after exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to participate in the POLL at the venue.

(C) In compliance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 the Cut-off date (Specified date) to determine the eligibility of the shareholders to vote by electronic means or through POLL process, is a date not earlier than seven days before the date of General Meeting, i.e. Monday,

14.03.2016. The shareholders who are the Beneficial owners as on the said date will be eligible to participate in Remote e-voting. In other words, the shareholders holding shares as on Monday, 14.03.2016 only will be able to access the Remote e-voting module to vote electronically and/or participate in the physical POLL at the venue of the General Meeting.

8. **POLL PROCESS on Monday, 21.03.2016 (EGM Date) for those who have not cast their vote through Remote e-voting:**

The Voting for election of Director **will not be on the basis of show of hands** but shall be done by Poll by means of a secret Ballot at the venue of the General Meeting.

The issue of POLL Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) at the venue of the General Meeting. The MD & CEO shall at the General Meeting at the end of discussion on the Resolution on which voting is to be held, allow voting with the assistance of the scrutinizer by use of POLL paper for all those members who are present at the General Meeting but have not cast their votes by availing the Remote e-voting facility.

Polling Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass which was issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off (Specified) date, i.e. Monday, 14.03.2016.

Shareholders may exercise their right to vote by affixing a rubber stamp (X) against the name of ONE candidate of their choice in the Polling Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The entire process of Election would be conducted by the Chief Returning Officer designated / appointed by the Bank, with the assistance of two scrutinisers, including one shareholder scrutinizer.

The counting of votes would be taken up thereafter. The consolidated results of Remote e-voting and POLL will be posted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting agency, viz., CDSL and will be informed to the Stock Exchanges, within 48 hours of holding of the General Meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item: ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

Shareholders other than Government of India hold 36.0258% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Andhra Bank is entitled to have three shareholders representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) as Directors on the Board of the Bank. There is one vacancy of Shareholder Director on the Board with effect from 14.03.2015.

Accordingly, with a view to fill the vacancy, an Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders of the Bank is being convened to elect ONE Director representing the shareholder of the Bank (other than the Central Government) and the Notice for the EGM is being sent to pass necessary resolution for election of ONE Director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations, if eligible, as per the procedure detailed in the various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected Director will assume office from the day of the declaration of results and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16(1) Section 20 Section 5(ne)	➢ Prohibition of Common Director ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➢ Substantial interest
The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as a director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of vacancy in the office of the elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003	Regulation 10 Regulation 61A	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Scrutineers at Poll

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Manner of taking Poll and result thereof ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks
Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and letter F. No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, as on Appointment of Part Time Non Official Director in the Boards of the Banks.		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated 01.06.2011 and dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) regarding appointment of Part-Time Non-Official Directors also to be kept in mind while carrying out determination of 'Fit and Proper' status of the Candidates.
SEBI Guidelines – Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2014 dated 17.04.2014		Mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended on 19.03.2015
The Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended on 19.03.2015		Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20(ii), cut-off date (Specified date) for determining eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting through POLL shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as 'the Act'), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as 'the Scheme') and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as 'the Regulations') as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and F. No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) of Ministry of Finance posted on the Bank's website www.andhrabank.in. The same are also reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz.04.03.2016.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following namely: -

i. agriculture and rural economy
ii. Banking
iii. co-operation
iv. economics
v. finance
vi. law
vii. small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

(II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status' pursuant to Reserve Bank of India's directives/notifications from time to time in this regard.

(III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

(a) if he has at any time being adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

(d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC. No. 95 / 29.39.001 /2010-11 dated 23.05. 2011 read with Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and F.No.16/51/2012- BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, and extant Government guidelines, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Cut-off Date i.e., Thursday, 25.02.2016 will be available at Head Office of the Bank at Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004 from Friday, 26.02.2016, till Friday, 04.03.2016 (last date for receipt of nominations). Shareholders desirous of having a copy can get it on a pre-payment of Rs.50000/-(Rupees Fifty Thousand) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of '**Andhra Bank**' payable at Hyderabad.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders / Register of Members is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m., except when the Register of shareholders is closed in terms of Regulation 12 of Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations. As per Regulation 11 of the abovesaid Regulations, if any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof, required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders, whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members as furnished by NSDL/ CDSL / RTA as on Thursday, 25.02.2016, shall be entitled to participate i.e., Nominate / Contest in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the Cut-off (Specified) Date, i.e. Monday, 14.03.2016, shall have one vote for each share held by him / her for exercising through Remote e-voting / Poll. Cut-off (Specified) Date means a date not earlier than 7 days before the date of General Meeting for determining the eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India, DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and letter F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) from Government of India (GOI) and any other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

(a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on Thursday, 25.02.2016, being the Cut-off date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting, i.e. Monday, 21.03.2016, and thereafter till the end of his tenure, if he is elected.

(b) as on Friday, 04.03.2016, (the last date for receipt of nominations) he / she is not disqualified to be a Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;

(c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or RBI Notification or GOI Guidelines.

(e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.andhrabank.in under the Tab ‘Investor Corner’).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit:

a) Duly filled in Declaration Form;
b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the Company Secretary, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, together with connected documents, complete in all respects, on a working day on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 PM on Friday**, 04.03.2016** (i.e. not less than 14 days before the date of General Meeting) failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS.

(i) Nominations shall be scrutinised by the Nomination Scrutiny Committee of the Bank on Saturday, 05.03.2016, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.

(ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notifications.

(iii) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidate shall assume office only on the day after the declaration of result.

(iv) If valid nominations are more than ONE, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes will be deemed to have been elected and his/her name will be published in the newspapers and also will be placed on the website of the Bank.

(v) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

The candidate may withdraw his / her candidature by sending a signed letter by post or fax or e-mail on or before the scrutiny of nominations commences, i.e. 5.00 PM on 05.03.2016.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business.

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place: Hyderabad
Dated:12.02.2016

(Y. Amarnath)
Company Secretary

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations"), respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors – Section 16 (1)

No Banking company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 67 of the Companies Act, 2013, no Banking company shall -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or

where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

(a) **"Loan or advance"** shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

(b) **"Director"** includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Substantial Interest - Section 5 (ne)

(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company or whichever is less;

(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

<u>The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980</u>

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Composition of the Board of Directors

9 (3) (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

(I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.

(II) More than sixteen per cent but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors.

(III) More than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, in the corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A) The Directors to be nominated under clause (h) or elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:-

i. agriculture and rural economy
ii. banking
iii. co-operation
iv. economics
v. finance
vi. law
vii. small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

9(3AA) Without prejudice to the provisions of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may inform from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank of India is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving, to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a

Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next EGM and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

9 Term office of elected Director

9(4) An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

10 Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

(a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court or an offence which involves moral turpitude; or

(d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

11. Vacation of office of Directors

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a Whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clause, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section (iii) of Sub-clause 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

11A: The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

11B: Filling of vacancy in the office of elected Director

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

12(8) A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 2013, or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

(ii) an officer or other employee of the nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act).

ANDHRA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 61A: Scrutineers at Poll

(i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the Meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.

(ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.

(iii) Of the two scrutineers appointed under this Regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or Employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

Regulation 61B: Manner of taking poll and result thereof

(i) The Chairman of the Meeting shall have power to regulate the manner in which a Poll shall be taken.

(ii) The result of the Poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the Resolution on which the Poll was taken.

Regulation 63: Directors to be elected at general meetings

(1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.

(2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders

(i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election

(i) No nominations of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank;

(b) he is as on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and

address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification or a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights

(i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

PLEASE NOTE THAT the voting in respect of electing shareholder directors shall only be done by Remote e-voting and POLL.

Regulation 69: Voting by duly authorised representative

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70: Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

(ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

(viii) All alterations in the proxy form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections(3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued Notification DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and letter F. No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) from Government of India (GOI) laying down "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

a)Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination Committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the Nomination Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the Nomination Committee the Board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i)Educational qualification
(ii)Experience and field of expertise
(iii)Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20thJune 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON- OFFICIAL DIRECTOR – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 3rd September 2013 and revised vide Ministry of Finance letter F. No.16/51-2010-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines)

The following criteria may be adopted for nomination of part- time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

i. Criteria of experience

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank.

a. Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
b. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the Bank from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of the Bank.
c. Academicians/Directors of premier Management/Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
d. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience)would also be preferred.

B. Criteria of Educational Qualification

An NoD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

C. Criteria of age

The age of the Director, on the date of recommendation by Nomination Committee (Search Committee) should not be more than 67 years.

D. Criteria of Work Experience

Professional academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

E. Criteria of Disqualification

(a) A Director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in the Bank.

(b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the Board of the Bank. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NoD, if they are not having any managerial control in such companies.

(c) No person may be re-nominated as a NoD on the Board of the Bank on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

F. Criteria of Tenure

An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of the Bank if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the Board of any other Bank/FI/RBI/Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI. Moreover, the issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision scheme, 1980 shall be separately examined.

2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well. However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non-official director recluses himself / herself from handling that part of the business of the firm, where there may be conflict of interest.

3. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.

4. Professionals shall not be nominated on the board of a PSB with which they had a business relationship during the last three years before such nomination.

REGIONAL REPRESENTATION

Effort should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East – on the Boards of Public Sector Banks together.

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt_____ son / daughter / wife of Shri / Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Thursday, 25.02.2016,i.e., the Cut-Off date for participating(to nominate / to contest) in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the completion of election or till the end of my tenure, if elected; and

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and

c. I accept the nominations numbering _____; and

d. I am willing to contest for the election of Director of Andhra Bank; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, RBI Notification – DBOD No.BC.No.46 & 47/29-39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and F.No.16/51/2012 – BO.I dated 28.04.2015 (extant guidelines for selection of Part Time Non-Official Director) of Govt. of India; and

f. I neither hold any office of profit nor an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and

g. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete, vide enclosed PDU Form, i.e. Personal Information, Declaration and Undertaking; and

h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

(*) Tick whichever is applicable.

Contd…..

Name of the Shareholder	
Signature of the Shareholder	
Number of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Andhra Bank or any Nationalised Bank.

Signature with Seal

Name

Date

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

To
Andhra Bank,
Shareholders & Investor Relation Section
Head Office Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad
Hyderabad-500 004.

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 12.02.2016, I Shri/Smt _____ a shareholder of Andhra Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on Thursday, 25.02.2016 (being the Cut-off date considered for participating (nominate / contest) in the election), do hereby nominate Shri/Smt _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Andhra Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Monday, 21.03.2016,** at Hyderabad.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1) In case nomination is made by a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signatures of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank.
3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

NAME OF THE BANK : **ANDHRA BANK**

AFFIX PASSPORT SIZE PHOTO HERE

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2016			
I		**Personal details of the Candidate**	
	a	Full Name (in capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Nationality	
	d	Educational Qualifications	
		(Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	e	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank).	
	f	Permanent Address	
	g	Present Address	
	h	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	i	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	j	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980	
	k	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II		**Relevant Relationships of Candidate**	
	a	Details of Relatives, if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013)	
	b	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013)	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of the Bank in which he/she is or has been a Member of the Board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		**Records of professional achievements**	
	a	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the Bank)	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of, at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous provisions) Scheme, 1980?	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate /Director had at any time come to the adverse notice of a Regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by Regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the	

		same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'Fit and Proper'.	
VI		Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank? If so, give particulars	
VII		In carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc ? If so, give particulars.	

Undertaking

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed by all Directors of the Bank.

Place :
Date : **Signature of the Candidate**

Enclosures:

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Name & Signature of the Member	Name & Signature of the Member	Name & Signature of the Member

Place :

Date :

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hydrrabad 500 004 .

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date: Monday, 21st March, 2016 at 11.00 A.M.

Place: Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500 032.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

.....

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, **ENTRY PASS**

(to be retained throughout the meeting)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING **Date:Monday,21st March, 2016,11.00 A.M.**

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass–Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

.....

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004. **BALLOT PAPER PASS**

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING **Date:Monday, 21st March, 2016, 11.00 A.M.**

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office: **Dr. Pattabhi Bhavan**
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad-500 004

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No.
Client ID No. (if Dematerialised)
No. of shares

I / We _____ resident/s of _____ in the District of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ Resident of _____ in the District of _____ in the State of _____ or failing him, Shri / Smt _____Resident of _____in the District of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on Monday, 21st March, 2016 at 11.00 A.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500 032, and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2016

Revenue Stamp Re.1/-

_____ _____

Signature of Proxy
Name: _____
Address: _____

Signature of first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
 c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.

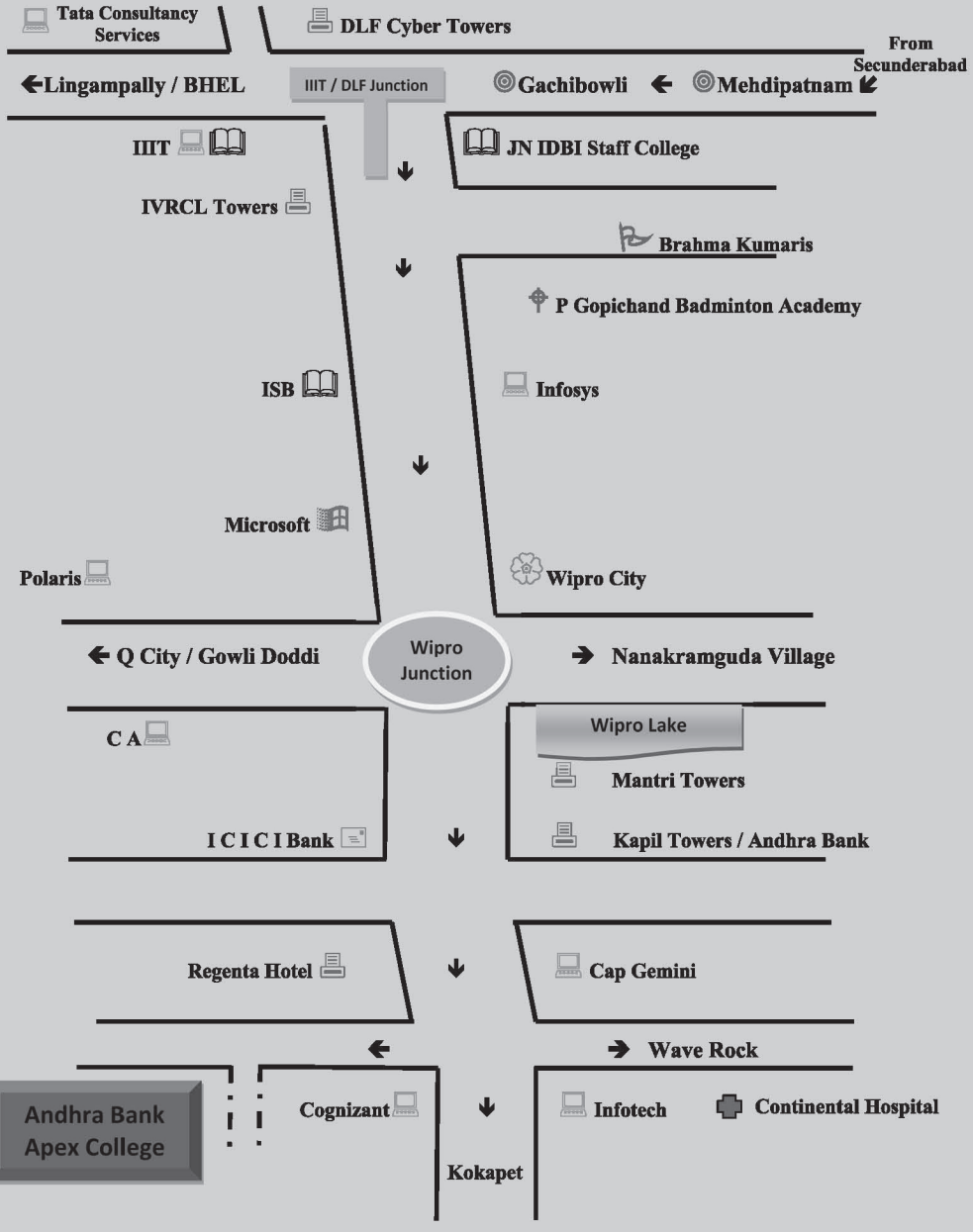
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with
 b) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 c) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Shareholders & Investor Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Wednesday**,** 16.03.2016**.**
 d) in case the relevant Power of Attorney is already registered with Andhra Bank, the registration number of the Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form “B” of the Regulations.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

Route Map to reach

आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज
Andhra Bank Apex College
- for Banking Excellence

Plot No 27-29, Financial District Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032



Bus Numbers : From Koti - 118W, 116N
From Secunderabad - 47L/I (Infotech)
10H/17 (Infotech)
10H/W (Infotech)

For Enquiry Toll Free No. APSRTC:18002004599

To

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाए :

आन्ध्र बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग
प्रधान कार्यलय : डॉ. पट्टाभि भवन,
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004, तेलंगान

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK
Shareholders & Investors Relation Section,
Head Office Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004, Telangana

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261